न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 133/23

प्रार्थी :– दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रहलादराम जाति जाट निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर।

मुकदमा नंबर :– 134/23

प्रार्थी :– दिलीप चौधरी पुत्र श्री हेमाराम जाति जाट निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर।

मुकदमा नंबर :– 135/23

प्रार्थीनी :– सुमन पूनिया पत्नि श्री जोगेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बाडमेर, तहसील व जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1 श्री करणसिंह सोलंकी प्रार्थीगण अधिवक्ता
2 विप्रार्थी सरकारी पैरोकार

आदेश दिनांक :–04.08.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी दिनेश कुमार की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3656/198 रकबा 0.2782 हैक्टेयर,

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी दिलीप चौधरी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3657/198 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, प्रार्थीनी सुमन पूनिया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 199 रकबा 0.3162 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा, तहसील पचपदरा मे अवस्थित है। उक्त सभी खसरान व नजदीकतम सड़क के मध्य विपार्थी के खसरा संख्या 1108/200 रकबा 1.0749 हैक्टेयर भूमि आई हुए है। सभी प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे मे चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पडता है। लेकिन रेकर्ड मे कटाण नही होने के कारण सभी प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु आवागमन मे समस्या हो रही है, भारी असुविधा का सामना करना पडता है। सभी प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है ।

अतः सभी प्रार्थी ने विपार्थी के खेत खसरा संख्या 1108/200 रकबा 1.0749 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा, तहसील पचपदरा, की भूमि में से रास्ते के रूप मे प्रयुक्त हो रही भूमि को राजस्व रिकॉर्ड मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये है।

सभी प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विपार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा से तलब की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने आवेदन के तथ्यो को दोहरातें हुए बहस में तर्क दिये कि प्रार्थी दिनेश कुमार की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3656/198 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, प्रार्थी दिलीप चौधरी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3657/198 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, प्रार्थीनी सुमन पूनिया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 199 रकबा 00.3162 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

ग्राम मंडापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा, तहसील पचपदरा मे अवस्थित है। उक्त खातेदारी भूमि एवं सडक के मध्य विप्रार्थी के खसरा संख्या 1108/200 रकबा 1.0749 हैक्टेयर की भूमि आई हुए है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि मे होकर मुख्य सडक तक पहुचने के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे मे से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पडता है। लेकिन राजस्व रेकर्ड मे रास्ता कटाण नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पडता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है, क्योकि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता विकल्प है, तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अपनी बहस को आगे और जारी रखतें हुए कथन किया कि विवादित भूमि की तहसीलदार पचपदरा द्वारा मौका जांच की गई, और अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष मे रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते मे जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी पक्ष को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से सहमत है ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थी की ओर से राज. पैरोकार (एन.टी) द्वारा अपनी बहस मे तर्क दिये गये कि मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो आपत्ति नहीं है ।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात व मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमे

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पाया कि प्रार्थी दिनेश कुमार की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3656/198 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, प्रार्थी दिलीप चौधरी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3657/198 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, प्रार्थीनी सुमन पूनिया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 199 रकबा 00.3162 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा, तहसील पचपदरा, से होकर मुख्य सडक पर पंहुचने के लिए बीच विप्रार्थी के खसरा संख्या 1108/200 रकबा 1.0749 हैक्टेयर की भूमि से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमे तहसीलदार पचपदरा से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका जांच कर रिपोर्ट दिनांक 04.08.2023 को प्राप्त हुई। जिसमे स्पष्ट अंकन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सडक तक पहुचने के लिए आवागमन हेतु उपयुक्त खसरा संख्या 1108/200 रकबा 1.0749 हैक्टेयर की भूमि मे से प्रस्तावित है, जो अन्तिम विकल्प रास्ता है, जो प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विप्रार्थी द्वारा भी प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भुमि का रकबा 0.2104 हैक्टेयर भूमि बन रहा है जिसकी वर्तमान में डी.एल.सी.दर राशि 14,04,729 रूपये प्रति बीघा है। नियमानुसार रास्ते मे प्रभावित भूमि के खातेदार को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। जिससे प्रस्तावित रास्ते की भुमि की दुगनी राशि रूपये 23,37,068/– देय होते है, जो विप्रार्थी को राशि दी जानी प्रस्तावित है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है । उपरोक्त विवेचन उपरांत प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा प्रार्थीगण के आवेदन स्वीकार किये जाकर ग्राम मंडापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1108/200 रकबा 1.0749 हेक्टेयर भूमि में से प्रस्तावित रकबा 0.2104 हैक्टेयर भूमि की राशि रूपये 23,37,068/- भुगतान करने पर तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 04.08.2023 के संलग्न नक्शे मे मार्क ए. बी. सी. डी. ई. अनुसार बरंग लाल भाग को रास्ते के रूप में निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि राजकोष मे जमा कराने पर तहसीलदार पचपदरा को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 04.08.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 04.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा